न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 134/2022 G.C.M.S. No. 2022/353 दर्ज दिनांक : 05.12.2022

अपीलार्थिगण:

1. लालाराम उर्फ ललीत कुमार पुत्र चुना उर्फ चुन्नीलाल जी, उम्र 51 वर्ष, जाति भाट, निवासी उतवण तहसील व जिला पाली।
2. मृत अलुड़ी पत्नि श्री चुना उर्फ चुन्नीलाल जी, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली के विधिक वारिसानः–
   - 2/1 जसीया देवी पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलालजी पत्नि सोनारामजी, जाति भाट, उम्र 57 वर्ष निवासी 282, भांबियों का बास, मण्डली खुर्द तहसील व जिला पाली।
   - 2/2 शांतिदेवी पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलाल जी पत्नि मांगीलालजी, उम्र 53 वर्ष, जाति भाट निवासी 307, सुभाष नगर बी, पाली।
   - 2/3 कन्या पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलालजी, पत्नि पोलारामजी, उम्र 50 वर्ष, जाति भाट, निवासी संतोषपुरा, मसूरीया जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मनोहर रामावत पुत्र श्री तुलसीदासजी रामावत, उम्र बालिग, जाति वैष्णव, निवासी नवी पाटी, नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 306, रोमन क्यू, चिकोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (तेलंगाना)
2. किरण रामावत, पत्नी मनोहर रामावत, उम्र बालिग, जाति वैष्णव, निवासी नवी पाटी, नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 306, रोमन क्यू, चिक़ोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (तेलंगाना)
3. पारसमल पुत्र ताराचंदजी, जाति जैन, उम्र बालिग, निवासी 45 बालियों का बास, पाली।
4. मृत जीवा पुत्र सुरता, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील पाली जिला पाली के विधिक वारिसानः–
   - 4/1 देवाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली
   - 4/2 घीसाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग
   - 4/3 सूजाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग, जातिगण भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली।
   - 4/4 उगीया देवी, पुत्री जीवा जी पत्नि मिश्रीलालजी, उम्र बालिग, जाति भाट, निवासी हाथलाई तहसील व जिला पाली।
   - 4/5 मूलीदेवी पुत्री जीवा जी, पत्नि वाघारामजी, जाति भाट, निवासी आकेली, तहसील व जिला पाली।
   - 4/6 सीतादेवी पुत्री जीवा जी, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली।
   - 4/7 कन्यादेवी पुत्री जीवा जी, पत्नि नारायण जी, जाति भाट, निवासी उतवण तहसील व जिला पाली हाल निवासी रामासिया, तहसील व जिला पाली।
5. समंदरनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. राजुनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग
7. जवाहरनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग
8. हडमान पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग, जातिगण नाथ, निवासीगण विजय आदर्श स्कूल के पास, उतवण, तहसील व जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार –

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, श्री अर्जुनकुमार राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 12.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण ने योग्य अधिन न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम उतवण पटवार क्षेत्र बोमदडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैरदा तहसील पाली जिला पाली के खसरा संख्या 452 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा और खसरा संख्या 453 रकबा 46 बीघा 08 बिस्वा के बंटवाडे का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 07.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश और दिनांक 23.08.2022 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई कि दिनांक 12.04.2016 को कन्या पुत्री चुना पत्नी पोला की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 12.04.2017 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, जिसके विरूद्ध रेवेन्यू बोर्ड में कार्यवाही की गई थी और रेवेन्यू बोर्ड द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.04.2017 अपास्त किया था और इस कन्या पुत्री चुना पत्नी पोला को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये थे जो आदेश दिनांक 03.09.2021 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुए थे, उसके बावजूद योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय ने इस कन्या पुत्री चुना पत्नी पोला को पक्षकार नहीं बनाया और अपीलाधीन प्राथमिक डिकी पारित कर दी। दिनांक 01.11.2021 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 151 सीपीसी व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने अनापत्ति की और प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश दिये गये, परन्तु कोई सम्मन जारी नहीं किये गये और दिनांक 21.03.2022 को प्रतिवादी संख्या दो के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 07.04.2022 को प्रतिवादी संख्या एक और प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 की तामिल मानते हुए उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होना मानकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु पर जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 का और प्रतिवादी संख्या 2/3 कन्या का नाम दर्ज नहीं किया गया था। उसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 2/3 कन्या को प्रतिवादी संख्या 02 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बना दिया था, जो बनाया ही नहीं जा सकता था। अपीलाधीन प्राथमिक डिकी अपीलार्थीगण के अलावा शेष पक्षकारों ने आपस में मिलावट कर राजीनामे के आधार पर पारित करवा दी, जबकि मूल वाद बंटवाड़े का वाद था और बंटवाडे के वाद में सभी पक्षकार वादी के रूप में होते है, उन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्राथमिक डिकी वादीगण द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत नक्शे को आधार बनाकर ही पारित कर दी, जो की ही नहीं जा सकती थीं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्राथमिक डिकी में यह दर्ज कर दिया कि राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार पाली भिजवावें। जबकि उक्त राजीनामा में अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थें, उक्त राजीनामा से अपीलार्थीगण कभी सहमत नहीं थें, उसके बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पाली को सीधा आदेश दे दिया था कि राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा को ध्यान में रखकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर अलग अलग खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर नजरी नक्शा में दर्शाया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जो कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय कर ही नहीं सकता था और इस तरह का आदेश तहसीलदार पाली को दे ही नहीं सकता था, इस कारण भी अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26.09.2022 को संबंधित पटवारी ने अपीलार्थी लालाराम को फोन कर सूचित किया कि इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राथमिक डिकी पारित की हैं, उस बाबत् मौके पर बंटवाड़े की कार्यवाही कर रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए वो मौके पर आवे, तब अपीलार्थी लालाराम ने तुरन्त संबंधित पटवारी से संपर्क किया, तब उसे दिनांक 23.08.2022 को पारित प्राथमिक डिकी की पहली बार जानकारी हुई और उसने यह जानकारी तुरन्त प्रभाव से अन्य अपीलार्थीगण को दी और अपीलार्थी लालाराम ने अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की, जो प्रमाणित प्रति दिनांक 04.10.2022 को प्राप्त हुई, तब उसे दिनांक 07.04.2022 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश की और दिनांक 23.08.2022 को पारित अपीलाधीन प्राथमिक डिकी की जानकारी हुई, जो जानकारी अपीलार्थी लालाराम ने अन्य अपीलार्थीगण को दी। तब अपीलार्थीगण की ओर से तुरन्त योग्य अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही आदेश और एकतरफा प्राथमिक डिकी अपास्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने और तब तक अंतिम डिकी पारित नहीं करने बाबत् प्रस्तुत किया गया और एक प्रार्थना पत्र बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु भी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत् दिनांक 07.10.2022 को प्रस्तुत किया गया, जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11. 2022 को खारिज किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अलग से अपील प्रस्तुत की जा रही है। पूर्व में अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उनके विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही आदेश और एकतरफा डिकी को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर रखा है और वह विचाराधीन था। इस कारण अपीलाधीन प्राथमिक डिकी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 म्याद अधिनियम दिनांक 07.11.2022 को खारिज किया गया है, इस कारण अब अपीलाधीन प्राथमिक डिकी के विरूद्ध अलग से यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्णित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 07.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश होने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। जिसके संबंध में दिनांक 26.09.2022 को संबंधित पटवारी ने अपीलांट को फोन कर सूचित किया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री बाबत मौके पर बंटवाड़ें की कार्यवाही कर रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए मौके पर आए तब अपीलांट को प्राथमिक डिक्री की पहली बार जानकारी हुई। जिस पर अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 04.10.2022 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही आदेश व एकतरफा प्राथमिक डिक्री अपास्त हेतु आवेदन किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2022 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध पृथक से अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, साथ ही प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर। अतः इसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही से विलंब कारित होना स्पष्ट नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कन्या पुत्री चुना पत्नि पोला को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की हैं। जो काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रथम तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि कन्या पुत्री चुना पत्नि पोला प्रतिवादी संख्या 2/3 के रूप में संयोजित है। साथ ही उक्त उज्र तृतीय व्यक्ति से संबंधित है न कि अपीलांट से संबंधित। अतः इस संबंध में अपीलांट को उज्र लेने का कोई अधिकार नहीं हैं। लिहाजा, यह उज्र अस्वीकार्य है।

4. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए बिना दिनांक 21.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर ले लिया। जो विधिविरूद्ध है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रथम तो चूंकि हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध है तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं इनके कायम मुकाम का अपीलांट से कोई संबंध नहीं हैं तथा यह उज्र अपीलांट से संबंधित नहीं हैं। आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र के निर्णय की वैधानिकता के संबंध में सक्षम स्तर पर रिवीजन की जा सकती हैं, अपील के स्तर पर उक्त उज्र अनुमत नहीं हैं। अतः यह उज्र स्वीकार्य नहीं हैं।

5. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 07.04.2022 को जारी करना बताया है, वह अपीलांट को कभी विधिवत तामील नहीं हुआ। अतः अपीलांट की अनुपस्थिति में प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जो काबिल अपास्त है, के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.10.2015 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राधाकिशन बोहरा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को व 2 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा दिनांक 17.03.2016 को अपीलांट्स का जवाबदावा अवसर बंद किया गया। आदेशिका दिनांक 07.04.2022 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2/1 से 2/3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में पृथक से आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी के अंतर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रेषित नोटिस उसकी पुत्री ममता पर तामील हुआ। जोकि वयस्क होना व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के साथ निवास करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट है। साथ ही अपीलांट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हों कि नोटिस प्राप्तकर्ता ममता अपीलांट के साथ निवास कर अपीलांट की वयस्क पुत्री नहीं हों। अतः यह उज्र सारहीन होने से अस्वीकार्य है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में प्रतिवादी संख्या 2/3 की तामील के संबंध में एवं प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु पर वादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना पत्र जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, के संबंध में उज्र लिया गया है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पक्षकारान की सम्यक तामील के संबंध में उज्र के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पृथक से विधिक प्रावधान है। जिनका अवलंब लिया जा सकता है। अतः इस स्तर पर यह उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं हैं।

6. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जबकि बंटवाड़ें के वाद में सभी पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक था, के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनुपस्थित व एकपक्षीय कार्यवाही युक्त प्रतिवादी पक्षकारान के अलावा शेष पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं साक्ष्य के उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट का उक्त प्रक्रियागत उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली व इस पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा समुचित तामील उपरांत व जवाबदावा का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद असफल व अनुपस्थित रहने पर जवाबदावा का अवसर बंद करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 से 8 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर वादपत्र का कोई विरोध विद्यमान नहीं होने से विवाद्यक विरचित की आवश्यकता नहीं रही। तत्पश्चात साक्ष्य वादी समायत की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत करने व प्रतिवादी साक्ष्य में कोई गवाह उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर उभयपक्षकारान की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन के साथ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रक्रियात्मक व विधिगत रूप से किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होती हैं एवं न ही अपीलांट यह साबित करने में सफल रहे हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट अपील को बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2022 की पुष्टि जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली